

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भोपाल


क्रमांक/चुनाव तत्काल/भारत.निर्वा./2018/4588

भोपाल दिनांक 05/11/2018

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 76/2003/न्या0 अनु0-11, दिनांक 30 अक्टूबर 2003 एवं वि0सभा चुनाव 2018 हेतु निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों के संकलन में दिये निर्देशानुसार निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत व्यय लेखा के अनुवीक्षण हेतु इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक/3976/भारत निर्वाचन/2018, भोपाल दिनांक 25.10.2018 में निम्नानुसार दरों की पूरक सूची सम्मिलित की जाती है :-

क्रमांक	विवरण	न्यूनतम दर की सूची
1	कपड़े का झण्डा (12 x 18 इंच)	5 रु0 प्रति नग
2	कपड़े का झण्डा (24 x 36 इंच)	10 रु0 प्रति नग
3	कपड़े का झण्डा (36 x 54 इंच)	15 रु0 प्रति नग
4	परंपरागत टोपी	1.5 रु0
5	शेडो कैप	4 रु0
6	सीडी/डीवीडी	10 रु0
7	झाईवर का वेतन	200 रु0 प्रतिदिन
8	फूलमाला छोटी सादा	7 रु0
9	फूलमाला छोटी स्पेशल	25 रु0
10	फूलमाला बड़ी (स्पेशल समूह हेतु)	700 रु0
11	गुलदस्ता छोटा	100 रु0
12	गुलदस्ता बड़ा	250 रु0
13	गाड़ी पर ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजल सहित)	2500 रु0 प्रति 24 घण्टे
14	ऑटो में साउण्ड (डीजल सहित)	2000 रु0 प्रति 24 घण्टे
15	एलईडी स्क्रीन (18.5 इंच)	800 रु0 प्रति नग 24 घण्टे
16	नगरनिगम प्राधिकारियों से होर्डिंग साईट का भाड़ा	प्राप्त रसीद द्वारा मान्य किया जावेगा।
17	ढोल एवं ताशे	600 रु0 प्रति कार्यक्रम
18	कटआउट (3 फीट)	400 रु0
19	कटआउट (6 फीट)	500 रु0

1. अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के व्यय लेखांकन हेतु उपरोक्तानुसार दरों का निर्देशानुसार उपयोग किया जावे।
2. यदि स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग अथवा किसी भी अन्य निकाय द्वारा कोई अनुमत्त सशुल्क सेवा प्रदाय की जाती है तो शुल्क रसीद की एक प्रति अनिवार्यतः प्राप्त की जावे।
3. जिन सामग्रियों की दरें उक्त सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके संबंध में तत्समय प्रचलित युक्तियुक्त बाजार दरों को मान्य किया जावे।


 कलेक्टर,
 एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 भोपाल

E:/ELECTION 2018/ELECTION ORDER

Scanned by CamScanner